प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	जाता है पत्रावली वास्ते बहस प्रा0पत्र दिनांक 20/1/26 को पेश हो।	
20/1/26	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 5/2/26 को पेश हो	
5/2/26	वकी0 उप0/ बहस उभयपक्ष सुनी गयी/पत्रा0 वास्ते आदेश दि0 12/2/26 को पेश हो।	
12/2/26	पत्रावली पेश हुई। बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी ख0सं0 2102 रकबा 0.4613 हैक्टे व ख0सं0 2106 रकबा 0.8417 हेक्टे0 वाके ग्राम बरुन्धन तह0 तालेडा अप्रार्थी सं0 1 के पिता बरधा ने संयुक्त परिवार में रहते हुए अपनी पैतृक सम्पति की आय से अप्रार्थी सं. 1 के नाम क्रय की गई थी। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 आपस मे सगे भाई है। संयुक्त प्रिवार में रहते हुए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 के पिता द्वारा परिवार की संयुक्त आय से क्रय की गई भूमि भी पैतृक भूमि है क्योकि वह पैतृक भूमि की आय से क्रय की गई है। प्रार्थीगण के पिता बरधा जी द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्रार्थना पत्र चरण 2 में वर्णित आराजी का अपनी पुत्रियो व पत्नी की सहमति से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 के मध्य बटवारा कर दिया था। बटवारा के अनुसार प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी मे प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 4/5 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं0 1 का 1/5 हिस्सा निहित है एवं उक्तानुसार ही काबिज काश्त है। किन्तु प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी ख0सं0 2102 रकबा 0.4613 हैक्टे व ख0सं0 2106 रकबा 0.8417 हेक्टे0 वाके ग्राम बरुन्धन तह0 तालेडा अप्रार्थी सं0 1 के स्वतंत्र खाते में दर्ज होने से अप्रार्थी सं0 1 उक्त पारिवारिक बटवारा अनुसार भूमि विभाजन से मना कर दिया एवं भूमि को बेचान करने की धमकी लगाई। यदि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा राजस्व रेकार्ड में स्वयं का नाम होने का फायदा उठाकर भूमि का बेचान कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी एवं सदेव के लिए अपने हिस्से से महरूम हो जावेंगे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ताफैसलावाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद वर्णित कृषि भूमि को अन्यत्र रहन बेचान नही करे तथा प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नही करे। दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी ख0सं0 2102 रकबा 0.4613 हैक्टे व ख0सं0 2106 रकबा 0.8417 हेक्टे0 वाके ग्राम बरुन्धन तह0 तालेडा अप्रार्थी सं0 1 की स्वअर्जित सम्पति है जिस पर प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नही होने से प्रा0 पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे। बहस उभय पक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वर्णित आराजी ख0सं0 2102	

प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रकबा 0.4613 हैक्टे व ख0सं0 2106 रकबा 0.8417 हैक्टे0 वाके [illegible] तह0 तालेडा अप्रार्थी सं0 1 के खातेदारी अधिकार की भूमि है किन्तु प्रार्थीगण के कथनानुसार उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 के पिता ने संयुक्त परिवार में रहते हुए अपनी पैतृक सम्पति की आय से वाद वर्णित आराजी क्रय की है जिससे इस पर प्रार्थीगण का भी बराबर का हिस्सा है। प्रार्थीगण के उक्त कथनों के सत्यापन एवं प्रमाणिकता मूल वाद में साक्ष्य दस्तावेजो के आधार पर निर्धारित होगी। इस स्टेज पर उक्त तथ्यो का निर्धारण नही किया जा सकता । प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होने से बहस एडमिशन के दौरान अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। अतः पक्षकारान् के मध्य मूलवाद के निस्तारण तक लिटिगेशन बढ्ने की संभावना के दृष्टिगत शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखना अतिआवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ताफैसलावाद प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण वाद वर्णित आराजी के रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। यह निर्णय आज दिनांक 05.02.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।